



JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD.

Corporate Identity Number (CIN) -U40109RJ2000SGC016483

Regd. Office : New Power House, Jodhpur- 342003

Phone No : 0291-2742343 : Fax No : 0291-2742228

E-mail : cecnp_jod@yahoo.in Web site : www.jdvvn.com

क्रमांक : जोधपुर डिस्कॉम/ अति.मु.अभि./अनु. अ.अ.पीपीएण्डएम /फा० S&I/प्रे० 204 दिनांक 19/4/17


संशोधन-आदेश

विषय :- विद्युत चोरी प्रकरणों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

आदेश क्रमांक अध्यक्ष (डिस्कॉम्स)/प्रा.स./पत्रा/प्रे.364 जयपुर दिनांक 25.10.2016 (स्थायी आदेश संख्या 16/11-ए) के बिन्दु संख्या 3.3 एवं 3.5 में आंशिक संशोधन करते हुये आदेश क्रमांक अध्यक्ष (डिस्कॉम्स)/प्रा.स./पत्रा/प्रे.141 जयपुर दिनांक 25.03.2017 (स्थायी आदेश संख्या 16/11-बी) के द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के लिए वीसीआर मॉनिटरिंग एवं रिब्यूईंग कमेटी में सुनवाई की अधिकतम समय सीमा 30 दिवस (कृषि कनेक्शन के मामलों में 60 दिवस) के स्थान पर सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए 90 दिवस निर्धारित की गई थी।

कतिपय इस तरह के प्रकरण भी सामने आते हैं जिनमें नोटिस या तो दिया नहीं गया अथवा दिया गया है तो उपभोक्ताओं को मिला नहीं। अधिकांश प्रकरणों में अधिक समय निकल जाता है और वीसीआर की राशि की विद्युत बिल के जरिये वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। उपभोक्ताओं की परेशानी के मद्देनजर इस तरह के प्रकरण में पहली बार विद्युत बिल में वीसीआर जुर्माना राशि जुड़ने व जारी होने के 90 दिन तक प्रकरण को सुनवाई के लिये लिया जा सकेगा।


उक्त आदेश अध्यक्ष डिस्कॉम्स की अनुमति से जारी किये जाते हैं।


(एम.आर.मीणा)

अति.मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् अध्यक्ष डिस्कॉम, जयपुर।
2. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
4. निदेशक (वित्त/तकनीकी) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
5. अति.मुख्य अभियन्ता (एमएम/मुख्यालय/सीएसएस-एसआई) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
6. संभागीय मुख्य अभियन्ता (जो.स/बी.स/बाडमेर) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर/बाडमेर को पालनार्थ।
7. मुख्य लेखाधिकारी, (ए एण्ड आर/...../.....) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
8. प्रावै. सहा. प्रबन्ध निदेशक जयपुर/अजमेर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर।
9. अधीक्षण अभियन्ता (आर ए एण्ड सी/टी.डब्लू/वाणिज्य/एमएमसी/एमएण्डपी/बीएफएल) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जैसलमेर।
10. अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि. एवं संधा.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालौर/बाडमेर/बीकानेर/सिरोही/जैसलमेर/चुरू/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़ को पालनार्थ।
11. अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर। कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये।
12. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) /उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
13. निजी सचिव, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
14. निजी सचिव, सलाहकार (एम) राजस्थान सरकार, जयपुर।
15. वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि.एवं संधा./एम.एम./अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
16. कम्पनी सचिव/उपनिदेशक (कार्मिक) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
17. प्रावै.सहायक माननीय प्रबन्धक निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
18. जनसम्पर्क अधिकारी जिविविनिलि, जोधपुर


अति.मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर